

उपर्युक्त प्रार्थनों ने मेरे सामने उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अगिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन-
 दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में ही नहीं है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।
 पस्तुतः लिपिकीय बृद्धि सुधार की योजना में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना-
 प्रार्थना की है तथा अगिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित
 इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	पुरा इन्दाज			रटीकृत किया गया नया इन्दाज		
	स्वासेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	स्वासेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
	2	3	4	5	6	7
37	मोहन राम पुत्र चतरा राम कौम जाट सा. डेह स्वासेदार राधिन पत्रावे नेवातल छेकू शाखा ललाकी इन्दाज	4	4.91	मोहन राम पुत्र चतरा कौम जाट सा. डेह स्वासेदार राधिन पत्रावे नेवातल छेकू शाखा ललाकी इन्दाज	4	4.91

[Signature] 19/07/21
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक : 19/7/21

क्रमांक : 1075
 प्रतिलिपि बालनार्थ :-
 1. तहसीलदार डीडवाना।

[Signature] 19/07/21
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक :

क्रमांक :
 प्रतिलिपि बालनार्थ :-
 1. पटवारी हलका को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णयानुसार
 बालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

